मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2004–05

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2004–05

मंत्री	श्री जयंत कुमार मलैया
राज्य मंत्री	श्री शिवनारायण
जागीरदार	
प्रमुख सचिव	श्री सत्य प्रकाश
आयुक्त सह सचिव	श्री एम.गोपाल रेड्डी
अपर सचिव	श्री रघुवीर प्रसाद
श्रीवास्तव	
अवर सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्री आर.के. कोरी

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार का हर विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यो का लेखा जोखा वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है । इसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2004–05 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है ।

(सत्य प्रकाश)
प्रमुख सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

भोपाल
दिनांक 05.02.2005

::भाग–एक::

1 विभागीय संरचना

1.1 संचालनालय और उसके संभागीय कार्यालय

विभाग के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है, जो अपने 7 संभागीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश की नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण करता हैं ।

नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए संचालनालय स्तर पर मुख्य अभियंता और संभागीय स्तर पर कार्यपालन यंत्री के अधीन यांत्रिकी प्रकोष्ठ भी गठित हैं । इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्रियों के कार्यालय भी गठित हैं ।

विभाग के अधीन नगरीय निकायों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में तीन नवीन जिलों को छोडकर शेष 45 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित है । इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं । विभाग के अन्तर्गत स्थापित संचालनालय उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये स्वीकृत अमले का विवरण परिशिष्ट–एक पर दर्शाया गया है ।

1.2 नगरीय स्थानीय संस्थायें

1.2.1 विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में कुल 337 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर पालिक निगम, 86 नगरपालिका परिषद तथा 237 नगर पंचायतें है जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

1.2.2 विगत वर्षो के दौरान प्रदेश में निम्नांकित नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है :–

1. नगर पंचायत छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ दिनांक 1.10.2003 को
2. नगर पंचायत छनेरा जिला खंडवा दिनांक 24.8.2004 को

1.2.3 इंदिरा सागर परियोजना में डूब में आने के कारण नगर पंचायत हरसूद की बसाहट का विस्थापन नये हरसूद/छनेरा क्षेत्र में किया गया है । वर्तमान में लगभग तीन वार्डो की बस्ती में निवासरत लोगों का विस्थापन किया जाना शेष है । उक्त नगरीय क्षेत्र के शत्–प्रतिशत् विस्थापन उपरांत नगर पंचायत हरसूद का विघटन करना होगा ।

1.3 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम निम्नानुसार हैः–

1 मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
2 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
3 पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
4 विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
5 सिंहस्थ मेला अधिनियम

6 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

7 स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहॉ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)

8 मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984

9 मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

10 मध्यप्रदेश साईकल रिक्शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक'36 सन् 1984)

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के संचालन के लिए क्रमशः मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाये गये है । इन अधिनियमों में निकायों के गठन, परिषदों के निर्वाचन, उनके कार्य संचालन, कर्त्तव्यों, शक्तियों और राज्य सरकार की भूमिका संबंधी विस्तृत प्रावधान है । उक्त अधिनियमों में नगरीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों और लगाये जाने वाले करों और फीस के बारे में स्पष्ट प्रावधान है ।

प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी है । विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है । नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किया जाता है ।

भाग:दो

बजट

प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करती है । इसके लिए विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है । विभाग के वर्ष 2004–05 के बजट में नगरीय निकायों के लिए निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(1)	आयोजना	12346.45 लाख
(2)	आयोजनेत्तर	78833.93 लाख
	योग	91180.38 लाख

विभाग के आयोजना मद में मुख्य रूप से सिंहस्थ मेले के लिए किया गया प्रावधान रूपये 4614.37 लाख शामिल है । आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को चुंगीकर, यात्रीकर से हुई हानि, सड़कों के मरम्मत और मूलभूत कार्यो के लिए अनुदान की राशि शामिल रहती है ।

वर्ष 2004–05 में आयोजना और आयोजनेत्तर मदों में प्रावधानित राशि और प्राप्त आवंटन का विवरण परिशिष्ट–तीन पर है ।

भाग:तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू है । इस योजना के तहत 75 प्रतिशत् राशि भारत सरकार देती है, जबकि 25 प्रतिशत् राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है । शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड इस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह आय रूपये 522.64 पैसे से कम होना है । पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 9,22,000 है ।

इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और लक्ष्य इस प्रकार है :–

1.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिये आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है ।

1.2 स्वरोजगार के लिये रूपये 50 हजार तक की परियोजनाओं के लिये परियोजना लागत का 15 प्रतिशत् या अधिकतम रूपये 7500/– अनुदान दिया जाता है । 80 प्रतिशत् ऋण बैंक देते है और 5 प्रतिशत् सीमान्त राशि हितग्राही को लगाना होती है ।

1.3 स्वरोजगार कार्यक्रम में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत् महिला और 3 प्रतिशत् विकलांग हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश हैं । इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किये जाने के निर्देश है ।

1.4 हितग्राहियों के कौशल उन्नयन के लिये विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । जिनमें रूपये 2,000/– प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है । प्रशिक्षण अवधि कम से कम 300 घण्टे होना चाहिए ।

1.5 महिला एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम में कम से कम 10 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रूपये 1.25 लाख या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत् जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है और शेष राशि ऋण के रूप में बैंकों से मिलती है ।

1.6 बचत और साख समिति घटक के तहत् गरीब परिवारों की समिति गठित की जाती है, जिसमें उन्हें छोटी–छोटी बचत करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सकें ।

1.7 शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत् सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निमार्ण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । इस कार्यक्रम में

निमार्ण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60 : 40 निर्धारित है । यह कार्यक्रम इस समय प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है ।

1.8 योजना के सामुदायिक संगठन घटक में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबाड़ी आदि गतिविधियॉ चलाई जाती है ।

1.9 प्राप्त केन्द्रांश और राज्यांश– योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2004–05 में माह दिसंबर 2004 तक प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2002–2003	683.93	227.97	911.90
2	2003–2004	818.32	149.71	968.03
3	2004–2005 दिसम्बर 2004	631.49	169.96	801.45

1.10 इस योजना के तहत् वर्ष 2004–2005 के लिये नियत लक्ष्य और उसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2004 तक की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	540.32	7204 हितग्राही	57.64	1171 हितग्राही
2	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	564.86	28243 प्रशिक्षणार्थी	53.41	4410 प्रशिक्षणार्थी
3	अद्योसंरचना सहायता	103.60	–	9.11	100 सेवा केन्द्र
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	533.77	355847 मानव दिवस	148.90	73789 मानव दिवस
5	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम (अनुदान)	419.59	336 समूह	33.01	32 समूह
6	बचत एवं साख समिति	488.63	1955 समिति	75.85	674 समितियॉ
7	सामुदायिक संगठन घटक	398.23	–	65.25	700 बालवाड़ियॉ
8	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण	–	–	12.11	–
9	स्थानीय निकायों का सुद्ढीकरण	–	–	13.47	–
10	प्रशासकीय व्यय	–	–	172.33	–
	योग	–	–	583.43	–

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के संकेत के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है ।

2 राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम भारत सरकार के शत्–प्रतिशत् सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में भारत सरकार से 70 प्रतिशत् ऋण और 30 प्रतिशत् अनुदान प्राप्त होता है । कार्यक्रम के तहत् प्रदेश के शहरों की घोषित गंदी बस्तियों में आबादी के आधार पर नीचे बताये गये कार्यो के लिये जिलों को आवंटन दिया जाता है । सभी निमार्ण कार्य नगरीय निकायों के माध्यम से कराये जाते हैं ।

2.1 भौतिक मूलभूत सुविधायें

भौतिक मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत जल आपूर्ति, सामुदायिक स्नानगृह, भूमिगत नालियॉ, सामुदायिक शौचालय, सड़क बत्तियॉ, गंदे पानी की निकासी आदि की व्यवस्था की जाती है ।

2.2 भौतिक अधोसंरचना

भौतिक अधोसंचरना के तहत् सड़कें, भूमिगत जल–मल निकास, सतही नालियों आदि का निर्माण कराया जाता है ।

2.3 सामाजिक अधोसंरचना

इसके अन्तर्गत आवास, आश्रय उन्नयन पूर्व स्कूल शिक्षा के अलावा वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक भवन निर्माण आदि की व्यवस्था की जाती है ।

2.4 आबंटन और उपलब्धि

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में वर्ष 2003–04 और वर्ष 2004–05 में माह जनवरी 2005 तक भारत सरकार से प्राप्त राशि जिलों को जारी आबंटन और भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(रूपये लाख में)

स. क्र.	वर्ष	प्राप्त आबंटन	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	वित्तीय उपलब्धि का प्रतिशत्
1	2003–2004	2352.00	294000	913.68	114210	38.85
2	2004–2005	1050.00	131250	1272.16	159026	121.16

योजना प्रारंभ से माह जनवरी 2005 तक प्रदेश की घोषित शहरी गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के तहत जल आपूर्ति के लिये 8010 वाटर टेप्स, प्रकाश व्यवस्था में 3987 खंबे एवं बल्व, 50 सामुदायिक स्नान गृह का निर्माण, 250 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, 1510 किलोमीटर सड़क, 717.30 किलोमीटर सीवेज लाईन, 1966.50 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज के निर्माण कार्य कराये गये है । सामाजिक अधोसंरचना के अन्तर्गत 303 आश्रयों का उन्नयन, 211 पूर्व शिक्षा संबंधी गतिविधियां, 2504 प्रौढ़ शिक्षा, 2736 प्राथमिक

स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां संचालित की गई । इसके अतिरिक्त 32 सामुदायिक भवनों का निर्माण भी कराया गया है ।

3 वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना

3.1 यह योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रदेश में लागू है । इस योजना का उद्देश्य शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और कमज़ोर वर्ग के ऐसे झुग्गी वासियों को जिनके पास उपयुक्त आवास नहीं है, को आवास बनाने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ।

3.2 इसी योजना के साथ निर्मल भारत अभियान के नाम से एक सह योजना भी लागू की गई है, जिसका उद्देश्य मलिन बस्तियों (अर्थात झुग्गी बस्तियों) में सामुदायिक शौचालयों और पेयजल की बेहतर सुविधा प्रदान करना है ।

3.3 योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में रूपये 50 हजार और शेष नगरों में रूपये 40 हजार प्रति आवासगृह के मान से आर्थिक सहायता हुडको के माध्यम से दी जाती है । जिसमें 50 प्रतिशत् राशि भारत सरकार से अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है ।

3.4 इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की 170 परियोजनायें तैयार कराकर क्षेत्रीय प्रमुख हुडको, भोपाल को प्रस्तुत की गई है । वर्ष 2001–02 से अब तक की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन	भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि	भौतिक उपलब्धि पूर्ण	भौतिक उपलब्धि प्रगति पर
1	2001–02	2200	246.00	218.50	523	100
2	2002–03	4664 170 शौचालय	1051.70	606.54	1419	778
3	2003–04	553	138.30	138.30	224	320
		7417 मकान 170 शौचालय	1436.00	963.34	2166	1185

योजनान्तर्गत 7417 मकान और 170 सार्वजनिक शौचालय के विरूद्ध 2166 मकानों का निर्माण कार्य हो चुका है । 1198 मकानों का कार्य प्रगति पर है । अभी तक क्षेत्रीय प्रमुख हुडको भोपाल को 963.34 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके है । इसमें से क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा रूपये 593.30 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र हुडको मुख्यालय नई दिल्ली भेजे गये । शेष का परीक्षण हुडको द्वारा किया जा रहा है । राज्य शासन को प्राप्त राशि में से रूपये 575.89 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय द्वारा भेजा जाना

लंबित है । वर्ष 2003–04 में 1214 आवास गृहों की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई थी, परन्तु राशि प्राप्त न होने के कारण लक्ष्य में सम्मिलित नहीं किया गया ।

वर्ष 2004–05 के लिये भारत सरकार द्वारा रूपये 926 लाख के संकेत प्राप्त हुए है जिसके लिये निम्नानुसार परियोजना प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रमुख हुडको द्वारा हुडको मुख्यालय को प्रस्तुत किये गये है :–

क्र.	संस्था का नाम	मकानों की संख्या	परियोजना लागत	अनुदान
1	इंदौर विकास प्राधिकरण	572	387.26	143.00
2	इंदौर नगर निगम	1147	768.93	302.75
3	भोपाल नगर निगम	1063	669.69	265.75
4	नगर पालिका हरदा	421	195.25	84.20
5	भोपाल विकास प्राधिकरण	583	367.29	145.75
	योग	3786	2384.42	941.45

4 भोपाल शहर में 50,000 आवास गृहों के निर्माण की योजना

प्रवासी आवासहीन लोगों के लिये वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजनान्तर्गत भोपाल शहर में 50,000 आवास गृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इसके प्रथम चरण में 10,000 मकानों के निर्माण के लिये निम्न निर्माण एजेंसियों का चयन किया जा चुका है :–

नगर निगम भोपाल	–	3200 आवास गृह
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल	–	2000 आवास गृह
मध्यप्रदेश सहकारी आवास संघ	–	3500 आवास गृह
भोपाल विकास प्राधिकरण	–	1300 आवास गृह

उपर्युक्त निर्माण एजेंसियों में से नगर निगम भोपाल के 1879 आवास गृहों के निमार्ण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, और आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

आवास संघ ने 1214 आवास गृहों की योजना तैयार की है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है राशि प्राप्त होना अपेक्षित है एवं नगर निगम ने 1063 आवास गृहों की एक अन्य योजना तैयार की है । ये दोनों योजनायें भारत सरकार में स्वीकृति के लिये विचाराधीन है । इसी प्रकार भोपाल विकास प्राधिकरण ने 583 आवास गृहों की योजना तैयार कर ली है, और मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा 600 मकानों की योजना तैयार की है । नगर निगम को छोड़कर शेष एजेंसियों की योजनाओं में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य शुरू कराया जावेगा ।

5 शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन

प्रदेश के शहरों और कस्बों में स्थित शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना राज्य की सर्वोच्चय प्राथमिकता वाली योजना में शामिल है । वर्ष 99–2000 में चिन्हित शुष्क शौचालय की संख्या 50657 थी । समस्त चिन्हित् शौचालयों का जल वाहित शौचालय में परिवर्तन किया जा चुका है ।

प्रदेश में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिवेध) अधिनियम 1993 को पंजीकृत किया जा चुका है और प्रदेश की सभी 337 नगरीय निकायों के क्षेत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम लागू किया गया है ।

6 जनश्री बीमा योजना

6.1 यह योजना नगरीय क्षेत्रों में कमज़ोर वर्ग के लोगों एवं ''ए'' क्लास मंडी समितियों के हम्मालों के लिये भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से 26 जनवरी 2001 से एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की गई थी एवं वर्तमान में यह योजना समस्त नगरीय निकायों में लागू है । इस कारण पूर्व संचालित सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना समाप्त की गयी है ।

6.2 इस योजना के तहत् एक सदस्य की प्रीमियम की राशि रूपये 200/– वार्षिक है । इसमें से रूपये 100/– भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित सामाजिक सुरक्षा कोष से एवं शेष राशि रूपये 100/– हितग्राही द्वारा जमा की जाती है । हितग्राही के पक्ष में शासन द्वारा कोई राशि देय नहीं है ।

6.3 बीमाधन :– बीमित सदस्य का बीमाधन रूपये 20,000/– है , अर्थात सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को उक्त राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाती है ।

6.4 दुर्घटना बीमा लाभ :–

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000/–
2. दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रूपये 50,000/–
3. दुर्घटना में दोनों आंखें और दोनों हाथ, पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 50,000/–
4. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रूपये 25,000/– की धनराशि देय होती है ।

जनश्री बीमा योजना में माह वर्ष 2004–05 में माह दिसम्बर 2004 तक 994 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

7 शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूरिफ) योजना

7.1 भारत सरकार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्यों को सुधार से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2003–04 में शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि

की स्थापना की गई । केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक 21.15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है ।

7.2 शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग केवल आवास, शहरी विकास और गरीबी उपशमन की योजना/ योजना के क्रियान्वयन या इनकी पूर्ति के लिए किया जाएगा । आवंटन राशि के उपयोग के मार्गदर्शी सिद्वान्त भी तैयार कर लिये गये हैं, जिसके अंतर्गत इस राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, जल योजनाओं का सुदृढ़िकरण और ठोस अपशिष्ठ को हटाने पर किया जावेगा । राशि के आवंटन का आधार शहरी निकायों की जनसंख्या रहेगा । साथ ही वर्ष 2003–04 के लिए संपत्तिकर, जल कर एवं समेकित कर की वसूली को भी आधार माना जावेगा ।

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1 पर्यावरण सुधार

इस योजना में प्रदेश की नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में बसी मलिन बस्तियों के रहवासियों को पेयजल, गली, सड़क, बिजली और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा देने की व्यवस्था है । वर्ष 2003–04 में इस योजना पर रूपये 169.42 लाख व्यय किये गये और इस योजना का लाभ 21178 हितग्राहियों को मिला । चालू वर्ष 2004–05 में माह जनवरी 05 तक योजना के तहत रूपये 128.41 लाख का व्यय किया गया है जिससे 16051 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

2 पुर्नस्थापन–व्यवस्थापन योजना

इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भूमि पर झुग्गियां बनाकर रहने वाले अस्थाई पट्टेधारी व्यक्तियों को अन्यत्र बसाया जाकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं यथा–सडक, पानी, बिजली, नाली निर्माण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना वर्ष 1985 से लागू है । झुग्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थापित करने का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जाता है । राशि का आवंटन भी कलेक्टर को विभाग के माध्यम से किया जाता है । कलेक्टर विभिन्न एजेसिंयों यथा भोपाल विकास प्राधिकरण, राजधानी परियोजना प्रशासन, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई. आदि से कार्य करवाते है । अभी तक लगभग 10000 झुग्गी वासियों को पुनर्व्यवस्थापित किया गया है । वर्तमान में यह योजना सिर्फ भोपाल शहर में लागू है । विगत चार वर्षो में इस योजना के तहत किया गया बजट प्रावधान व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

वर्ष	वित्तीय प्रावधान	व्यय राशि
2001–02	58.80	17.485
2002–03	58.80	37.805
2003–04	31.21	–
2004–05	25.00	–

वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 की राशि व्यय करने के लिए पुर्नस्थापन व्यवस्थापन योजना के तहत प्राक्कलन/प्रस्ताव कलेक्टर भोपाल से चाहे गये है । प्राप्त होने पर राशि दी जावेगी ।

3 रैन बसेरा योजना

शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले बेघर लोगों को आश्रय सुलभ कराने के लिये वर्ष 1992 से प्रदेश में रैन बसेरा योजना लागू की गई है । प्रति रैन बसेरा बनाने की लागत रूपये 2.50 लाख रखी गई है । इसकी लागत की 20 प्रतिशत राशि भारत सरकार हुडकों के माध्यम से 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार एवं 55 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अपने संसाधनों से जुटाना पड़ती है । प्रदेश सरकार ने अभी तक 74 रैन बसेरों की स्वीकृति दी है जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित 7 रैन बसेरों को पृथक कर म.प्र. में अभी तक 43 रैन बसेरा पूर्ण निर्मित हो गये है, जिसे कि जनता के उपयोग हेतु खोल दिया गया है ।

4 मध्यान्ह भोजन योजना

माह जुलाई 2004 से नगरीय क्षेत्र में कुल 4760 प्राथमिक शालाओं में 9,06,644 छात्र, छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की परिवर्तित व्यवस्था दाल–रोटी, रोटी–सब्जी, दाल–चावल बदल–बदल कर दिया जाना प्रारंभ किया गया है । इसमें आदिवासी क्षेत्र की 58 निकायों की 682 शालाओं में और गैर आदिवासी क्षेत्र की 279 नगरीय निकायों की 4078 शालाओं में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था चल रही है ।

मध्यान्ह भोजन योजना पर शिक्षा सत्र 2004–05 में व्यय होने वाली राशि लगभग 2828.00 लाख की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग में प्राप्त होने वाली राशि से की जा रही है । अभी तक कुल रूपये 2526.91 लाख की राशि नगरीय निकायों के लिये उपलब्ध कराई गई है । कच्चे खाद्यान्न की पूर्ति (गेहूँ–चावल केवल) केन्द्र सरकार द्वारा एफ.सी. आई. के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ।

जबलपुर और भोपाल के शहरी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं की संख्या 592 और छात्र–छात्राओं की संख्या 1,35,841 है, नांदी फाउंडेशन हैदराबाद द्वारा मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की जायेगी । इस संबंध में नादी फाउंडेशन हैदराबाद से भोपाल, जबलपुर के शहरी क्षेत्र के स्कूलों के लिये अनुबंध निष्पादित कर लिया गया है ।

5 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं

5.1 सामान्य जल आवर्धन योजना

नगरों की सामान्य जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 30 प्रतिशत् और शासन/वित्तीय संस्था का ऋण 70 प्रतिशत् के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । जबकि 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए शासन का अनुदान 70 प्रतिशत और शासन/ वित्तीय संस्था से 30 प्रतिशत् राशि ऋण के रूप मे उपलब्ध कराई जाती है ।

वर्तमान में इस प्रकार की योजनांए प्रदेश के 42 नगरो में क्रियान्वित की जा रही हैं । इनमें से 40 योजनायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा और भोपाल एवं देवास शहरों की योजनायें संबंधित निगमो के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ।

5.2 केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित जल प्रदाय योजना

यह योजना 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए है । योजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :–

1. भारत सरकार से 50 प्रतिशत् अनुदान
2. राज्य सरकार से 45 प्रतिशत् अनुदान
3. संबंधित निकाय का अंशदान 5 प्रतिशत्

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान तक प्रदेश के 155 नगरों का चयन किया गया है । इनमें से 152 नगरों की योजनायें भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 128 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है । 24 नगरों की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होना है । स्वीकृत योजनाओं में से 108 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अभी तक कुल 33 नगरो की योजनांए पूर्ण होकर संचालित है । 75 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है शेष शहरों की योजनायें बनाने और तैयार योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के स्तर पर की जा रही है ।

5.3 बरसात के पानी का भूमिगत संरक्षण

भूमि विकास नियम 1984 में 7 अप्रैल 2000 को किये गये संशोधन के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र तक के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान अनिवार्य किये गये थे जिसे संशोधित कर दिनांक 29.6.2001 को 250 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखण्डों में भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया ।

नगरीय निकायों के क्षेत्रों में जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी, उन भवनों में प्रथम बार (एक वर्ष) के लिये सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान दिनांक 23.3.2001 को लागू किया गया है ।

नगरीय निकायों द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा के साथ 26,223 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान संयोजित कर भवन अनुज्ञा जारी की गई, जिसके विरूद्व अब तक 1789 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान लागू किये जा चुके हैं ।

(स) <u>बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं</u>

1 <u>एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता योजना</u>

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरण सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है ।

1.2 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, एवं जबलपुर शहरों को चुना गया है ।

1.3 योजना का मुख्य उद्देश्य इन शहरों में पर्यावरण, अधोसंरचना एवं सेवाओं में सुधार जैसे जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, जल–मल निकासी प्रणाली, जल–मल शोधन संयत्र लगाने, ठोस अपशिष्ट के प्रबंध आदि के साथ–साथ जन भागीदारी तथा सामुदायिक विकास करना है ।

1.4 ए.डी.बी. द्वारा इस योजना में होने वाले व्यय का आंकलन निम्नानुसार किया गया है :–

		कार्य का विवरण	(मिलियन डॉलर में) कुल लागत
अ.	1	जलपूर्ति, सीवर जलमल निकासी, बरसाती पानी की निकासी एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंध	205.5
	2	जनभागीदारी / सामुदायिक विकास	7.3
	3	क्रियान्वयन सहयोग	21.4
		योग (अ)	234.2
ब.		आकस्मिकता	40.0
स.		टैक्स एण्ड ड्यूटीज	11.9
द.		ब्याज आदि	17.4
		कुल योग (अ+ब+स+द)	303.5

1.5 उक्त योजना हेतु आंकलित लागत 303.5 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण हेतु एडीबी द्वारा 200 मिलियन डॉलर, यू.एन.हेबीटेट से 0.5 मिलियन डॉलर, राज्य सरकार का अंशदान रूपये 253 करोड़ (50.6 मिलियन डॉलर) तथा संबंधित स्थानीय निकायों से रूपये 262 करोड़ (52.4 मिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी रखी गई है ।

1.6 एडीबी से प्राप्त होने वाली राशि 200 मिलियन डॉलर (66 प्रतिशत) भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को 70 प्रतिशत् ऋण तथा 30 प्रतिशत् अनुदान के रूप में प्राप्त होगी । राज्य शासन एवं नगरीय निकायों को यह ऋण ब्याज सहित 20 वर्ष (निर्माण अवधि के पांच वर्ष लेते हुए) की अवधि में वापिस करना होगा । योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगी । प्राप्त होने वाले ऋण पर वर्तमान में 9.0 प्रतिशत् ब्याज लगेगा ।

1.7 राज्य शासन द्वारा परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है एवं इस हेतु 2004–05 के बजट में भी प्रावधान किया गया है ।

1.8 परियोजना क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) का गठन किया है जो कि परियोजना पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी रहेगी । प्रदेश के

शहरों में परियोजना क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों में भी एक परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (पी आई यू) का गठन किया गया है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1 पवित्र नगरी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004 में ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन एवं अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है । इन पवित्र नगरों के प्रमुख मंदिरों, ऐतिहासिक पौराणिककाल के धार्मिक स्थलों को शामिल कर नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र को पवित्र घोषित किया जाकर इन पवित्र नगरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इन पवित्र नगरों में साधु–संतो, यात्रियों को ठहरने के लिये धर्म शालाओं, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है । इन पवित्र नगरों में मांस मंदिरा के क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । पवित्र नगरों में वृक्षारोपण, हरबल गार्डन की स्थापना, आयुर्वेदिक पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

तीन पवित्र नगरों यथा, अमरकंटक, ओंकारेश्वर और महेश्वर की कार्य योजनाएं तकनीकी परीक्षण उपरांत विभाग को कार्यवाही के लिये दिनांक 11.10.2004 को भेजी गई है जिस पर कार्यवाही प्रचलित है । पवित्र नगरों में राशि उपलबध कराने/समन्वय का कार्य धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

2 अयोध्या बस्ती योजना

2.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरों में स्थित गंदी बस्तियों के समन्वित विकास के लिए दिनॉक 4 अक्टूबर, 04 से अयोध्या बस्ती योजना लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया है । नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आधारभूत सुविधाएं यथा–जल प्रदाय, स्वच्छता, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, मार्गों तथा नालियों का निर्माण एवं सामुदायिक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी ।

2.2 योजना के अंतर्गत किए जाने वाले अधोसंरचना विकास कार्य के लिए राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्नयन कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी मजदूरी कार्यक्रम सहित सांसद विधायक निधि और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले धन तथा कालोनाइजर नियमों के तहत प्राप्त आश्रय शुल्क का उपयोग किया जाएगा ।

2.3 योजना के अंतर्गत बड़े शहरों यथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में पांच–पांच बस्तियों तथा शेष सभी शहरों में एक–एक बस्ती का चयन किया जावेगा । जनवरी 05 तक कुल 357 बस्तियों में से 304 बस्तियों का चयन किया जा चुका है शेष 53 बस्तियों के चयन की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है ।

3 सिंहस्थ 2004 उज्जैन

3.1 सिंहस्थ कुंभ महापर्व का आयोजन पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के मनोहारी पूर्वीतट पर बसी पवित्र उज्जयिनी नगरी में गुरू के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में आने पर किया जाता है । यह महापर्व मध्यप्रदेश राज्य की गौरवशाली परम्परा का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रति 12 वर्षो में एक बार कुंभ पर्व के रूप में आयोजित होता है । इसी परंपरा अनुसार विगत वर्ष सिंहस्थ मेला 5 अप्रैल 2004 को प्रथम शाही स्नान के साथ प्रारंभ होकर 4 मई 2004 को अंतिम शाही स्नान के साथ आयोजित किया गया ।

3.2 इस महापर्व के दौरान दिनांक 19 और 24 अप्रैल को पर्व स्नान और दिनांक 5 तथा 22 अप्रैल और 4 मई को शाही स्नान भी आयोजित किए गए । सिंहस्थ 2004 मेले में लगभग 2.25 करोड श्रृद्धालुओं ने उज्जैन पहुंच कर मोक्षदायिनी क्षिप्रा में स्नान किया । सिंहस्थ 2004 में तीर्थ यात्रियों/साधु–संतो आदि के क्षिप्रा तट पर निवास के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा 2151.976 हेक्टर भूमि मेला क्षेत्र हेतु सुरक्षित की गई जिसकी अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 9 दिसंबर 1999 में प्रकाशित की गई ।

3.3 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ से संबंधित कार्यों की स्वीकृति आदि के बारे में निर्णय लेने और विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यो की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् समिति का गठन किया गया, इसके अलावा केन्द्रीय समिति, स्थानीय समिति और उप समितियों का भी गठन किया गया जिनमें शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण भी सदस्य नियुक्त किए गए । इन समितियों के अलावा स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी, तत्कालीन मुख्य सचिव, तत्कालीन मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास (केवल सिंहस्थ 2004 कुभ मेला संबंधी कार्य), तत्कालीन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, तत्कालीन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास और आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा भी सिंहस्थ की तैयारियों की सतत् समीक्षा और पर्यवेक्षण किया जाता रहा ।

3.4 इस महापर्व की तैयारी के लिए राज्य शासन द्वारा रूपये 266.28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई । सिंहस्थ 04 की कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 571 महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए । उज्जैन संभाग के अतिरिक्त आसपास के जिलों यथा इंदौर, देवास, खण्डवा (ओंकारेश्वर), खरगौन (महेश्वर), मंदसौर आदि में आनेवाले श्रृद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं, यातायात सुविधा आदि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कार्य भी, सिंहस्थ की कार्य योजना में सम्मिलित किए गए ।

3.5 राज्य शासन का यह प्रयास रहा कि इस महापर्व में सम्मिलित होने वाले साधु संतो/तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुलभ हों । साथ ही उज्जैन शहर में महापर्व के अवसर पर तीर्थयात्रियों के बढते दबाव के कारण उज्जैन के आम नागरिकों को भी कोई असुविधा न हो और उनका जीवन सामान्य बना रहे । नासिक कुंभ में हुई भगदड जैसी आपदा सिंहस्थ 04 में न घटित हो इस उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के दल को नासिक में हुई दुर्घटना के अध्ययन के लिए नासिक भेजा गया । इसी प्रकार इलाहबाद कुंभ से जुडे हुए उ.प्र. राज्य के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के दल को म.प्र. आमंत्रित कर उन्हें उज्जैन में हो रहे निर्माण कार्यो /व्यवस्थाओं का अवलोकन कराया गया और उनके बारे में परामर्श प्राप्त किया गया ।

3.6 सिंहस्थ 04 की कार्ययोजना में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और दुर्घटनाओं से बचाव की दृष्टि से उज्जैन के 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की परिधि में बाहरी और

अंदरूनी रिंग रोड का निर्माण, पंचक्रोशी मार्ग का निर्माण, यात्रियों की सुविधा और साधु संतो और उनके अनुयायियों के ठहरने आदि के लिए उज्जैन के आसपास 7 सैटेलाईट उपनगरों की येाजना, नए उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण, नए घाटों का निर्माण और पुराने घाटों/मंदिरों का जीर्णोद्वार, कुडों की सफाई, क्षिप्रा नदी में सिंहस्थ के दौरान स्नान हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के दृष्टिगत नदी के उदगम से उज्जैन तक 9 नए स्टापडेमों और पैण्टून ब्रिजों का निर्माण, पेयजल प्रदाय की व्यवस्था, शहर की साफ–सफाई, उज्जैन को जोडने वाले सभी मार्गो का सुधार, निर्माण, चौड़ीकरण, सौन्दर्यीकरण आदि, स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से उज्जैन में ट्रामा यूनिट वाले अस्पताल का निर्माण और उपनगरों में अस्थाई चल चिकित्सालयों की व्यवस्था आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित किए गए । सभी कार्य निर्धारित मानकों, उत्तम गुणवत्ता और निर्धारित कैलेण्डर अनुसार समय सीमा में पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ।

3.7 उपरोक्त के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उज्जैन में कैम्प कर निर्माण कार्यो की प्रगति और यथा समय उनके क्रियाशील होने की समीक्षा की जाती रही । सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस होमगार्ड के जवान सी.आई.एस.एफ. की 11 कम्पनियां साफ सफाई व्यवस्था के लिए लगभग 5 हजार सफाई कर्मी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य विभागों के लगभग 25 हजार कर्मचारियों ने सतत अत्यन्त निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं अर्पित की । विभिन्न नगरीय निकायों के 67 अग्निशमन वाहन मय अमले के नगर पालिक निगम उज्जैन में संलग्न किए गए थे । पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फायर वाहन 14 फायर स्टेशनों पर 24 घंटे तैनात रहे । सिंहस्थ के दौरान हुए अग्नि काण्डों पर इस व्यवस्था के कारण त्वरित निराकरण किया जा सका । इसके अलावा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पर्याप्त संख्या में जे.सी.बी. मशीनें, डम्पर, फागिंग मशीनें, ट्रैक्टर ट्राली आदि उज्जैन में संलग्न किए । मेला क्षेत्र में लगभग 22 हजार अस्थाई शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानागारों और वस्त्र परिवर्तन कक्षों का भी निर्माण किया गया । सीवर लाईनों की सफाई व मरम्मत, रोड साइनेज आदि अन्य कार्य कराए गए ।

3.8 सिंहस्थ 2004 मेले के दौरान साधु–संतो के अखाडों और गैर सरकारी संगठनों को मेले की अवधि के दौरान निशुल्क भूखण्ड, पेयजल तथा विद्युत प्रदाय करने की भी व्यवस्था की गई । सिंहस्थ 2004 के प्रचार प्रसार के लिये बेबसाईट भी तैयार की गई जिस पर श्रृद्वालुओं को ऑन लाईन भस्म आरती दिखाए जाने की व्यवस्था की गई ।

3.9 मेले के दौरान अभूतपूर्व यातायात सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था, उत्कृष्ट स्तर की साफ सफाई व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम, कीटनाशकों का छिड़काव, शुद्ध पेयजल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्रियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई । राज्य शासन द्वारा यथा समय की गई इन व्यवस्थाओं के कारण सिंहस्थ 2004 मेला अत्यन्त सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ।

वर्तमान में सिंहस्थ 04 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा तात्कालिक स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए कराए गए आवश्यक कार्यों का परीक्षण, उन पर मंत्रिपरिषद् समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना, आंकड़ों का मिलान/समीक्षा, लेखा परीक्षण, सिंहस्थ 04 अन्तर्गत निर्मित आस्तियों के चिन्हांकन और रख–रखाव आदि संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही विभाग द्वारा संपादित की जा रही है ।

4 भोपाल शहर की नर्मदा स्त्रोत पर आधारित जल आवर्धन योजना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भोपाल शहर के लिए नर्मदा नदी जल स्त्रोत पर आधारित आवर्धन जल प्रदाय योजना लागत रूपये 298.00 करोड़ की बनाई गई है । भारत सरकार सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा दिनांक 6.10.2004 को उक्त योजना के लिये लागत रूपये 24022.65 लाख का तकनीकी निष्पादन प्रदान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3989/3988/04/18–2 दिनांक 23.9.2004 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है । योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है । नगर निगम भोपाल द्वारा संकल्प क्रमांक 139 दिनांक 1.10.2004 के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिये रूपये 100.00 करोड़ के ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई । योजना के क्रियान्वयन के लिये हुडको द्वारा दिनांक 31.5.2004 को रू. 100.00 करोड़ की ऋण की राशि देने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है । विभाग के बजट में रूपये 1.00 करोड़ का सांकेतिक प्रावधान भी किया जा चुका है । भारत सरकार से रूपये 100.00 करोड़ की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है ।

(ई) <u>कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं</u>

1 पेंशन योजना

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिये संचालनालय स्तर पर कन्ट्रोलर ऑफ पेंशन फॉर लोकल बॉडीज के नाम से एक पृथक खाता खोलकर पेंशन निधि का गठन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतनमान का 12 प्रतिशत् की दर से नगरीय निकायों से अंशदान एवं 15 प्रतिशत् चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान राशि काटकर पेंशन कोष में जमा की जाती है । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास इस फण्ड के नियंत्रक है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2005 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 9650 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है, जिन्हें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । चालू वित्त वर्ष में 609 प्रकरण निराकृत हुए ।

प्रदेश के नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम तथा सिंगरौली द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

2 परिवार कल्याण योजना

इस योजना के तहत नगरीय निकायों के सभी कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से मासिक अभिदान देय होता है । योजनान्तर्गत सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाता है :–

क्र.	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान की राशि (रूपये में)	दावेदार को भुगतान की जाने वाली राशि (रूपये में)
1	प्रथम श्रेणी	160.00	1,60,000.00
2	द्वितीय श्रेणी	120.00	1,20,000.00
3	तृतीय श्रेणी	100.00	1,00,000.00
4	चतुर्थ श्रेणी	60.00	60,000.00
5	सफाई कामगार	30.00	30,000.00

चालू वित्तीय वर्ष में 644 प्रकरण स्वीकृत कर रूपये 1,36,48,820.00 का भुगतान किया गया है ।

3 सफाई कामगारों की समूह बीमा योजना की जानकारी

प्रदेश के नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये सफाई कामगार समूह बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें कामागारों के वेतन से प्रतिमाह एक रूपये की कटौती की जाती है तथा वार्षिक प्रीमियम शासन द्वारा वहन किया जाता है, सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर कामगार के आश्रितों को सामान्य मृत्यु पर राशि रूपये 5,000.00 तथा दुर्घटना होने की दशा में रूपये 10,000.00 का भुगतान किया जाता है ।

भाग:चार

अन्य प्रशासनिक कार्य

1 नगरीय निकायों के निर्वाचन

1.1 संविधान के 74 वें संशोधन के प्रावधानों को प्रदेश में लागू किये जाने के बाद नये स्वरूप में प्रदेश की नगरीय निकायों के तीसरे आम चुनाव माह नवंबर 2004 में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण के अधीन संपन्न हुए हैं । विभिन्न श्रेणियों की जिन निकायों के निर्वाचन कराये गये उनका विवरण इस प्रकार है:–

नगरपालिक निगम	13
नगरपालिका परिषद	75
नगर पंचायत	217
	305

1.2 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका शाजापुर और सीहोर में सीमावृद्वि की कार्यवाही प्रक्रिया में होने के फलस्वरूप इन निकायों के निर्वाचन नहीं कराये गये हैं ।

2 महापौर/अध्यक्ष के पदों का आरक्षण

2.1 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के प्रयोजन से मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पदों का आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिक निगमों के महापौर और नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही माह सितंबर, 2004 में संपन्न की गयी थी, जिसमें विभिन्न प्रवर्गो के लिए विभाग द्वारा महापौर/ अध्यक्ष के पद आरक्षित किये गये हैं ।

2.2 प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की निकायों में किये गये आरक्षण संबंधी विवरण परिशिष्ट–चार पर है ।

3 विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.1 नगरीय निकायों के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रबोधन कार्यक्रम माह नवंबर 2004 में नगरीय निकायों के संपन्न आम निर्वाचन में निर्वाचित होकर आये माननीय महापौर, अध्यक्ष और पार्षदगण को नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली और विधि के अधीन उन्हें प्राप्त शक्तियों तथा कर्तव्यों से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इन जन–प्रतिनिधियों के प्रबोधन की वृहद् कार्ययोजना तैयार की गयी है ।

3.2 समस्त नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण से संबंधित प्रबोधन कार्यक्रम अखिल भारतीय स्वायत्त संस्थान के द्वारा वर्ष 2005 में सम्पन्न किया गया ।

3.3 राज्य सरकार की विकेन्द्रीकरण की नीति को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये आगामी वर्ष से समस्त नगरीय निकायों में दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू की जा रही है ।

नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित समस्त पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेम्बर पी.आय. सी. तथा समस्त नगर पालिका पार्षदों (सभासदों) को भी नगरीय सुशासन से संबंधित नवचार और बेहतर कार्य प्रणाली के बारे में एवं व्यवहारिक पहलुओं के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सम्पन्न किया जा रहा है ।

3.4 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए वर्ष 2004–05 में आल इंडिया इन्सटीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा एवं आर.सी.बी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा राज्य प्रशिक्षण नीति के अनुसरण में निम्न अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किये जा रहे हैं :–

(1) आल इंडिया इन्सटीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	प्रशिक्षण संख्या / अवधि	प्रतिभागी संख्या	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बचत एवं साख समितियों एवं सामुदायिक विकास समितियों के अध्यक्षों की कार्यशाला	–	21 कार्यशाला एक दिवसीय	2100	सम्पन्न
2	नगर पालिक लेखा कर्मियों के लिए दोहरी प्रविष्टी लेखा प्रणाली	लेखाधिकारी एवं लेखापाल	10 कोर्सेस पांच दिवसीय	300	संचालित
3	भवन एवं रोड निर्माण संबंधी परियोजना क्रियान्वयन एवं मरम्मत संबंधी प्रशिक्षण	निकायों के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री	7 प्रशिक्षण पांच दिवसीय	210	संचालित
4	वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना	निगम आयुक्त, उपायुक्त एवं सी. एम.ओ.	एक वर्कशाप एक दिवसीय	30	संचालित
5	नगरीय प्रशासन एवं सुशासन वर्कशाप	6 नगर निगमों के महापौर, पार्षद, आयुक्त एवं अधिकारी	1 वर्कशाप	30	सम्पन्न
6	नगरीय निकायों के निर्वाचित अध्यक्षों का प्रशिक्षण	समस्त नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	9 प्रशिक्षण 3 दिवसीय	600	संचालित
7	नगरीय निकायों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम	समस्त नगरीय निकायों के महिला प्रतिनिधि	23 प्रशिक्षण कार्यक्रम	1098	संचालित
8	नगरीय निकायों के समस्त पार्षदों की कार्यशाला	समस्त नगरीय निकायों के पार्षद	51 कार्य शालाये	6000	

नोटः– निकायों के लिये नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जावेगें ।

(2) म.प्र. प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण

क्र.	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी	प्रशिक्षण संख्या / अवधि	प्रतिभागी संख्या	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि	निगम आयुक्त /उपायुक्त सी.एम.ओ. एवं राजस्व अधिकारी	3 प्रशिक्षण 5 दिवसीय	90	सम्पन्न
2	शहरी गरीबी उपशमन संबंधी प्रशिक्षण	इंजीनियर्स / सी.एम.ओ. / पी.ओ.	3 प्रशिक्षण	90	सम्पन्न
3	शासकीय सेवा विषयक नियम, पेंशन, शिकायतें, जांच आदि	लेखाधिकारी / सी.एम. ओ. / पी.ओ.	3 प्रशिक्षण	90	सम्पन्न
4	नगरीय सुशासन एवं विकेन्द्रीकरण	निर्वाचित प्रतिनिधि, सी. डी.एस. प्रतिनिधि	6 प्रशिक्षण तीन दिवसीय	180	सम्पन्न

3.5 उपर्युक्तानुसार म.प्र. शासन अकादमी द्वारा 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनमें विभिन्न नगरीय निकायों के कुल 510 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा । आल इंडिया इन्सटीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 39 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगें जिनमें नगरीय निकायों के लेखा कार्य से जुडे अधिकारियों / कर्मचारियों तथा इंजीनियर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा । इस संस्थान 2208 अधिकारियों / कर्मचारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा । ऑल इंडिया इन्सटीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा 51 कार्यशालायें भी आयोजित की जायेगी । नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में निर्वाचन उपरांत प्रथमबार निर्वाचित होने वाले 600 अध्यक्षों / उपाध्यक्षों एवं 6000 पार्षदों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है ।

4 विधि संबंधी कार्य

4.1 अधिनियमों में संशोधन

विभाग द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2004 में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संपत्तिकर और समेकित दर पर वसूल किये जाने वाले करों के बारे में निम्नानुसार संशोधन के लिए विधेयक लाया गया था, जो सदन द्वारा पारित किया गया है :–

(1) समेकित दर पर वसूल किये जाने वाले करों की राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर ऐसे भवनों और भूमियों के मामलें में जो कि सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है, संपत्ति कर की रकम के 10 प्रतिशत से अधिक दर पर कर की वसूली नहीं की जाने संबंधी प्रावधान विलोपित किया गया ।

(2) संपत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए भवनों और भूमियों पर वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना उनके कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया) के स्थान पर निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) के आधार पर करने की पूर्व व्यवस्था लागू की गयी ।

4.2 समेकित नगरपालिका अधिनियम की रचना

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के स्थान पर नया समेकित नगरपालिका अधिनियम बनाने के लिए विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है । इसके लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है, जो 6 माह की समय–सीमा में नये अधिनियम के प्रारूपण का कार्य पूर्ण करेगा ।

5 विभाग की वर्ष 2004–05 की कार्य योजना

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों को उनके द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सेवाओं और शहरों के विकास से संबंधित दायित्वों के प्रति सक्रिय करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 की कार्य योजना जारी की गयी थी । कार्ययोजना में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया है:–

1. स्वच्छता अभियान,
2. पेयजल व्यवस्था,
3. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था,
4. लोक स्वास्थ्य,
5. वित्तीय संसाधन जुटाना,
6. गरीबी उपशमन योजनाएं,
7. स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान ,
8. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम,
9. वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना,
10. अवैध कालोनियों का नियमितीकरण,
11. अतिक्रमणों की रोकथाम,
12. आवारा पशुओं का नियंत्रण,
13. शुष्क शौचालयों का जलवाहित शौचालय में परिवर्तन,
14. शवदाह गृह/कब्रिस्तान,
15. पार्किंग स्थलों का विकास,
16. सब्जी मंडियों का विकास,
17. कार्यालय भवनों का रख–रखाव,
18. नगर निगमों द्वारा अपने लेखों एवं बजट का कम्प्यूटरीकरण तथा द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करना,
19. खेल मैदानों एवं पार्को का विकास,
20. सड़कों का रख–रखाव और नई सड़कों का निर्माण ।

5.2 प्रदेश में नगरपालिका निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण वर्ष के कुछ माहों में कार्य योजना पर नगरीय निकायों द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं की जा सकी थी । इसे देखते हुए विभाग द्वारा दिनांक 4.12.2004 को समस्त नगरीय निकायों को कार्ययोजना के बिंदुओं पर वर्ष की शेष अवधि में अभियान चलाते हुए तुरंत कार्यवाही करने के लिए

निर्देशित किया गया है । कार्य योजना में सम्मिलित विषयों में मुख्यतः साफ–सफाई, अतिक्रमणों की रोकथाम विषयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश निकायों को दिये गये हैं ।

6 विभागीय जांच प्रकरण

विभाग के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा के कुल 65 अधिकारियों के विरूध्द विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित है । इन प्रकरणों की संभागवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संभाग का नाम	कुल प्रकरण	शासन के विचाराधीन प्रकरण
1.	ग्वालियर	06	03
2.	भोपाल	21	11
3.	इंदौर	10	07
4.	उज्जैन	08	05
5.	सागर	04	01
6.	जबलपुर	09	05
7.	रीवा	07	03
	योग	65	35

7 विधान सभा को भेजे गये उत्तर

वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग द्वारा विधान सभा सचिवालय को भेजे गये उत्तरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विधान सभा सत्र	विधान सभा प्रश्न	विधान सभा याचिका में	शून्य काल सूचनाएं	अशासकीय संकल्प	स्थगन	ध्याना कर्षण सूचनाएं	आश्वासन
1	फरवरी–मार्च 04	29	2	2	0	3	17	8
2	जून–जुलाई 04	308	3	14	6	2	34	20
3	नवम्बर–दिसम्बर 04	63	4	14	1	0	4	0

8 नगरीय निकायों में अंकेक्षण की व्यवस्था

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. के द्वारा किया जाता है । वर्ष के दौरान निराकृत आपत्तियों की संभागवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	संभाग का नाम	कुल आडिट आपत्तियों की संख्या	निराकृत आडिट आपत्तियां	शेष
1	रीवा	13326	3970	9356
2	इंदौर	18901	2327	16574
3	जबलपुर	12786	2172	10614
4	ग्वालियर	18298	3297	15001
5	उज्जैन	16742	1392	15350
6	भोपाल	19389	2157	17232
7	सागर	15832	2504	13328
योगः–		115274	17819	97455

परिशिष्ट–एक

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	आयुक्त	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
2	संयुक्त संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
3	उप संचालक	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
4	सहायक संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
5	सांख्यिकी अधिकारी	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
6	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	—	3	2	—	2	1	—	1	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
7	अधीक्षक	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
8	सहायक अधीक्षक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
9	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
10	लेखा अधिकारी एस. ए.एस	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
11	लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
12	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
13	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
14	निज सहायक ग्रेड–2	2	—	2	1	—	1	1	—	1	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
15	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
16	सहायक ग्रेड–1	18	—	18	15	—	15	3	—	3	
17	लेखापाल	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
18	सहायक ग्रेड–2	15	—	15	14	—	14	1	—	1	प्रतिनियुक्ति पर जाने से 1 पद रिक्त
19	स्टेनोटायपिस्ट	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
20	सहायक ग्रेड–3	30	—	30	30	—	30	—	—	—	

21	वाहन चालक	5	2	7	6	—	6	—	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
22	दफ्तरी	4	—	4	4	—	4	—	—	—	
23	भृत्य	16	—	16	15	—	15	1	—	1	
24	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	10	—	10	—	—	—	3 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्योत्तर होने से अधिक है ।
25	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
26	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योगः–		139	5	144	129	—	129	14	5	19	

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	4	—	4	—	—	—	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	18	—	18	3	—	3	
4	सहायक वर्ग–2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
5	लेखापाल	7	—	7	6	—	6	1	—	1	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	23	—	23	5	—	5	
7	स्टेनोटायपिस्ट	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
8	वाहन चालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
9	भृत्य	14	—	14	15	—	15	—	—	—	न्यायालय के आदेशानुसार रीवा संभाग में 01 भृत्य अधिक कार्यरत है ।
	योग	115	—	115	101	—	101	12	—	12	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	36	2	प्रतिनियुक्ति से
2	सहायक परियोजना अधिकारी	51	50	1	प्रतिनियुक्ति से
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	30	8	प्रतिनियुक्ति से
4	आशुलिपिक	27	27	—	
5	वाहन चालक	20	20	—	
6	भृत्य	90	90	—	
7	फर्राश सह चौकीदार	36	36	—	
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 2500 प्रतिमाह)	388	272	116	संविदा नियुक्ति
	योग	688	561	127	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

सरल क्रमांक	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1	2	3	4	5
1.ग्वालियर संभाग	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. भिण्ड		2. भिण्ड 3. गोहद	5. मेहगांव 6. लहार 7. गोरमी 8. अकोड़ा 9. मिहोना 10. आलमपुर 11. दबोह 12. मौ 13. फूफकलां
	3. मुरैना		4. मुरैना 5. अम्बाह 6. पोरसा 7. सबलगढ.	14. जौरा 15. कैलारस 16. झुण्डपुरा 17. बामौर
	4. श्योपुरकलां		8. श्योपुरकलां	18. विजयपुर 19. बड़ौदा
	5. शिवपुरी		9. शिवपुरी	20. करेरा 21. कोलारस 22. खनियाधाना 23. पिछोर 24. बदरवास 25. नरवर
	6. गुना		10. गुना 11. राधोगढ़	26. चाचौड़ा बीनागंज 27. आरोन 28. कुंभराज
	7.अशोकनगर		12.अशोकनगर 13.चंदेरी	29. मुगावली 30. ईसागढ

	8. दतिया		14. दतिया	31. भांण्डेर 32. इंदरगढ़ 33. सेवड़ा
2. इंदौर संभाग	9. इंदौर	2. इंदौर		34. देपालपुर 35. सांवेर 36. गौतमपुरा 37. बेटमा 38. राऊ 39. हातौद 40. मानपुर 41. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17.पीथमपुर	42. राजगढ़ 43. कुक्षी 44. बदनावर 45. धरमपुरी 46. धामनौद 47. सरदारपुर 48. मांडव
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	49. अंजड़ 50. राजपुर 51. खेतिया 52. पानसेमल
	12. झाबुआ		20. झाबुआ 21.अलीराजपुर	53. जोबट 54. थांदला 55. पेटलावद 56. भावरा 57. रानापुर
	13. पश्चिम निमाड़		22. खरगौन 23. सनावद 24.बड़वाह	58. मण्डलेवर 59. कसरावद 60. भीकनगांव 61. महेश्वर
	14. पूर्व निमाड़	3. खंडवा		62. मूंदी 63. पंधाना 64. ओंकारेश्वर 65. छनेरा
	15.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25.नेपानगर	66. शाहपुर

3. उज्जैन संभाग	16. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27.महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	67. तराना 68. उन्हेल
	17. नीमच		30. नीमच	69. मनासा 70. रामपुरा 71. जावद 72. जीरन 73. रतनगढ़ 74. सिंगोली 75. डिकेन
	18. देवास	6. देवास		76. कन्नौद 77. सोनकच्छ 78. खातेगांव 79. हाटपिपल्या 80. बागली 81. भौरासा 82. करनावद 83. काटाफोड़ 84. लोहारदा 85. सतवास 86. टोंकखुर्द 87. पिपलरंवा
	19. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	88. नलखेड़ा 89. मक्सी 90. बड़ौद 91. कानड़ 92. अकोदिया 93. सुसनेर 94. सोयतकलां 95. बड़ागांव 96. पोलायकलां
	20. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	97. ताल 98. सैलाना 99. आलोट 100. नामली 101. बड़ावदा 102. पिपलौदा

	21. मंदसौर		35. मंदसौर	103. शामगढ़ 104. सीतामऊ 105. पिपल्यामंडी 106. नारायणगढ़ 107. मल्हारगढ़ 108. भानपुरा 109. नगरी 110. गरोठ
4. भोपाल संभाग	22. भोपाल	8. भोपाल		111. बैरसिया
	23. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	112. इछावर 113. बुदनी 114. जावर 115. नसरूल्लागंज 116. रेहटी
	24. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40.मण्डीदीप	117. औबदुल्लागंज 118. सुल्तानपुर 119. बरेली 120. बाड़ी 121. सांची 122. उदयपुरा
	25. विदिशा		41. विदिशा 42.गंजबसौदा 43. सिरोंज	123. कुरवाई 124. लटेरी
	26. होशंगाबाद		44. होशंगाबाद 45. इटारसी 46सिवनीमालवा 47. पिपरिया	125. बाबई 126. सोहागपुर
	27. हरदा 28. बैतुल		48. हरदा 49. बैतूल 50. आमला 51. सारणी	127. टिमरनी 128. खिड़किया 129. मुलताई 130. बैतूल बाजार 131. भैंसदेही
	29. राजगढ़		52. नरसिंहगढ़ 53. सारंगपुर 54. ब्यावरा	132. राजगढ़ 133. जीरापुर 134. खिलचीपुर 135 तलेन 136 बोड़ा

				137. खुजनेर 138. पचोर 139. सुठालिया 140. माचलपुर 141. छापीहेड़ा
5. सागर संभाग	30. सागर	9. सागर	55. बीना इटावा 56. खुरई 57. गढ़ाकोटा 58. रेहली 59. देवरी	142. राहतगढ़ 143. बंडा 144. शाहपुर 145. शाहगढ़
	31. दमोह		60. दमोह 61. हटा	146. तेंदुखेड़ा 147. पथरिया 148. हिन्डोरिया
	32. पन्ना		62. पन्ना	149. अमानगंज 150. देवेन्द्र नगर 151. अजयगढ़ 152. ककरहटी 153. पवई
	33. छतरपुर		63. छतरपुर 64. नौगांव	154. धुवारा 155. सटई 156. बारीगढ़ 157. महाराजपुर 158. बिजावर 159. गढ़ीमल्हरा 160. बक्सवाहा 161. चंदला 162. बड़ामल्हरा 163. हरपालपुर 164. लौंडी 165. खजुराहो 166. राजनगर
	34. टीकमगढ़		65. टीकमगढ़	167. निवाड़ी 168. पृथ्वीपुर 169. बल्देवगढ़ 170. खरगापुर 171. पलेरा 172. जैरोनखालसा 173. तरीचरकलां 174. जतारा

				175. लिधोराखास 176. बड़ागांव 177. कारी 178. ओरछा
6. रीवा संभाग	35. रीवा	10. रीवा		179. बैंकुंठपुर 180. मउगंज 181. त्यौंथर 182. हनुमना 183. चाकघाट 184. गोविन्दगढ. 185. नईगढ़ी 186. सिरमौर 187. मनगवां 188. सेमरिया 189. गुढ़
	36. सीधी	11. सिंगरौली	66. सीधी	190 चुरहट 191. रामपुरनेकिन
	37. सतना	12.सतना	67. मैहर	192. नागौद 193. बिरसिंहपुर 194. जैतवारा 195. कोटर 196. कोठी 197. अमरपाटन 198. रामपुर–बघेलान 199. उचेहरा 200. चित्रकुट
	38. शहडोल		68. शहडोल 69. धनपुरी	201. बुढ़ार 202. ब्यौहारी 203 जयसिंहनगर 204. खाण्ड
	39.अनूपपुर		70.कोतमा 71.पसान	205.अनूपपुर 206.जैतहरी 207.बिजूरी 208.अमरकंटक
	40. उमरिया		72. उमरिया	209. चंदिया 210. नौरोजाबाद 211. पाली

7. जबलपुर संभाग	41. जबलपुर	13. जबलपुर	73. पनागर 74. सिहोरा	212. बरेला 213. भेड़ाघाट 214. शाहपुरा 215. पाटन 216. मझौली 217. कटंगी
	42. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		218. बरही 219. कैमोर 220. विजयराधवगढ़
	43. बालाघाट		75. बालाघाट 76.वारासिवनी 77.मलाजखंड	221. कटंगी 222. बैहर
	44. छिन्दवाड़ा		78.छिन्दवाड़ा 79. पांढुर्ना 80.जुन्नारदेव जामई 81. डोगर परासिया	223. हर्रई 224. चौरई 225. लोधीखेड़ा 226. सौंसर 227. न्यूटन चिखली 228. अमरवाड़ा 229. चांदामेटा बुटारिया 230. मोहगांव
	45. नरसिंहपुर		82.नरसिंहपुर 83.गाडरवारा	231. गोटेगांव 232. करेली
	46. सिवनी		84. सिवनी	233. लखनादौन 234. बरघाट
	47. मंडला		85. मंडला 86. नैनपुर	235. बम्हनीबंजर
	48. डिण्डोरी			236. डिण्डोरी 237. शाहपुरा

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**86**
नगर पंचायत	**237**
योग	**337**

परिशिष्ट–तीन

नगरीय प्रशासन एवं विकास
वर्ष 2004–05 का आवंटन तथा व्यय

(राशि लाख रूपये में)

आयोजनेत्तर

	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
जलप्रदाय गृहों का संधारण	1747.05	1644.78	1332.11
चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	40374.01	38027.11	28178.61
सड़क मरममत के लिए अनुदान	4720.55	4445.19	3120.90
मूलभूत सुविधा के लिए अनुदान	17046.42	15696.39	11533.74
यात्रीकर विशेष अनुदान	5883.39	5540.19	4198.03
मुद्रांक शुल्क अनुदान	2300.00	2300.00	1972.00
म.प्र.अपमिश्रण निवारण के लिए अनुदान	0.50	0.47	0.00
राज्य वित्त आयोग	6762.00	6231.63	2828.20
ऋण	0.01	0.00	0.00
योग आयोजनेत्तर	78833.93	73885.76	53163.93

आयोजना सामान्य

झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पेयजल तथा शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए	120.00	118.92	118.92
झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पुर्नस्थापन एवं विस्थापन	25.00	25.00	25.00
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	302.53	302.53	302.53
अन्य विकास कार्य	-	-	-
अनुदान	150.00	150.00	135.84
ऋण	0.00	0.00	0.00
शुष्क शौचालयों का फ्लश में परिर्वतन	10.00	10.00	0.00
प्रशिक्षण	10.00	10.00	4.38
निजी कालोनियों में 15 प्रतिशत भूमि का मुआवजा	20.55	20.55	20.55
सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित कार्य	1.00	1.00	1.00
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	-	-	-
अनुदान	171.00	171.00	171.00
ऋण	552.00	552.00	552.00
ग्यारहवां वित्त आयोग	1755.00	1755.00	1755.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	1950.00	1748.37	942.00
पुनरीक्षित शहरी जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	0.00

भोपाल शहर के लिए नर्मदा जल योजना	100.00	81.85	0.00
योग सामान्य	5267.08	5046.22	4028.22

विशेष घटक योजना

	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पेयजल तथा शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए	26.00	26.00	26.00
सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	7.60	7.60	0.00
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	106.00	106.00	106.00
अन्य विकास कार्य	-	-	-
अनुदान	100.00	100.00	99.05
ऋण	8.40	8.40	0.00
शुष्क शौचालयों का फ्लश में परिर्वतन	120.00	120.00	50.00
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	-	-	-
अनुदान	44.00	44.00	44.00
ऋण	138.00	138.00	138.00
ग्यारहवां वित्त आयोग	437.00	437.00	437.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	485.00	485.00	261.00
योग विशेष घटक योजना	1472.00	1472.00	1161.05

आदिवासी उपयोजना

झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पेयजल तथा शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए	28.50	28.50	28.50
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना	84.50	84.50	84.50
गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	-	-	-
अनुदान	35.00	35.00	35.00
ऋण	110.00	110.00	110.00
ग्यारहवां वित्त आयोग	350.00	350.00	350.00
शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम	385.00	385.00	207.00
योग आदिवासी उपयोजना	993.00	993.00	815.00
सिंहस्थ–2004	4614.37	4614.37	1982.60
योग आयोजना	12346.45	12125.59	7986.87

परिशिष्ट–चार

नगरीय निकायों में महापौर/अध्यक्षों के आरक्षण की स्थिति
वर्ष 2004

स. क्र.	निकाय	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	नगर पालिक निगम	14	2 (महिलाएं 1)	0	4 (महिलाएं 1)	8 (महिलाएं 3)
2	नगर पालिका परिषद	86	12 (महिलाए 4)	4 (महिलाएं 1)	22 (महिलाएं 7)	48 (महिलाएं 17)
3	नगर पंचायत	237	35 (महिलाएं 12)	17 (महिलाएं 6)	59 (महिलाएं 20)	126 (महिलाएं 41)
	योग	337 (महिलाएं 113)	49 (महिलाएं 17)	21 (महिलाएं 7)	85 (महिलाए 28)	182 (महिलाएं 61)